

मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना

इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना, बालिका शिशु मृत्यु दर को कम करना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना है।

समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रदत्त राशि कन्या शिशु के माता-पिता के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है।

अन्य विभागों द्वारा प्रदत्त राशि

● लाभुक द्वारा ऑनलाईन आवेदन:-

ई-कल्याण पोर्टल <http://icdsonline.bih.nic.in/> पर आवेदक द्वारा स्वयं ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

पोर्टल पर आवेदन करने से पूर्व माता का आधार एवं बैंक खाता विवरणी तैयार रखें। 1-2 वर्ष के कन्या शिशु के लिए बच्चे का जन्म पंजीकरण तथा आधार पंजीकरण आवश्यक रूप से करा लें।

● लक्ष्य समूह

- ✓ योजना का लाभ प्रथम क्रम की दो कन्या संतानों को ही देय होगा।
- ✓ दूसरी संतान जुड़वा होने की स्थिति में जुड़वा संतानों में कन्या शिशु को इस योजना का लाभ देय होगा।
- ✓ अगर प्रथम संतान बालिका हो दूसरी संतान जुड़वा बालिका हो तो ऐसी स्थिति में तीनों कन्या शिशु को लाभ देय होगा।
- ✓ इस योजना का लाभ बिहार के निवासी परिवार को ही देय होगा।



₹2000/-

कन्या के जन्म पर भेंट स्वरूप



₹1000/-

कन्या के 1 वर्ष पूर्ण होने पर, प्रथम जन्म दिवस के भेंट स्वरूप



कन्या शिशु के 2 वर्ष से लेकर स्नातक उत्तीर्ण करने तक स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

अधिक जानकारी के लिए निकटतम बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा जनहित में जारी

आई.सी.डी.एस. निदेशालय, इंदिरा भवन, राम चरित्र सिंह पथ, पटना - 800001 | वेबसाइट: icdsbih.gov.in

Follow us on:  ICDSBR  @IcidsDirectorate  icds_directorate

Watch us on  www.youtube.com/@icdsdirectoratebihar